न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सीधी निग–2839––II–16

जलालुद्दीन पुत्र श्री हबीब बक्स, मुसलमान, निवासी– ग्राम हटवाखास, थाना – कमर्जी, तहसील – सिहावल, जिला – सीधी (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– रहीम पुत्र झरियार उर्फ फूरमान वक्स, निवासी ग्राम हटवाखास, तहसील सिहावल, जिला सीधी

2– सलिमिया पुत्र बजीर मौहम्मद पति अमूर मौहम्मद, निवासी बांकी, तहसील सिहावल, जिला सीधी

3– हलिमिया पुत्र बजीर मौहम्मद पति रफीक मौहम्मद, निवासी खोरी, तहसील बहरी, जिला सीधी

4–नूरजहाँ पुत्र बजीर मौहम्मद पति खलील मौहम्मद, निवासी – खड्डी मोहनी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला – सीधी (म.प्र.)

5– दोष मौहम्मद पुत्र बजीर मौहम्मद,

6– छोटे बक्स पुत्र बजीर मौहम्मद

7– जान मौहम्मद पुत्र बजीर मौहम्मद निवासीगण तिलई हटवा, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)

8– शाहजहाँ पुत्री बजीर मौहम्मद पति मोमिन मौहम्मद, निवासी – खड्डी मोहिनी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

9– मुनौअर अली पुत्र बजीर मौहम्मद निवासी तिलई हटवा, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)

10– नसरू उद्दीन पुत्र अलरख्खू,

11– हनीफ पुत्र अलरख्खू,

12– समशेर पुत्र अलरख्खू,

13– ताहीर पुत्र अलरख्खू,

14– अजमेर पुत्र अलरख्खू,

15– हबीब पुत्र मुण्डा,

श्री ... द्वारा आज दि. 24.8.16 को प्रस्तुत

... 24-8-16

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/8/16

16– मोहियद्दीन पुत्र मुण्डा,
17– निजामुद्दीन पुत्र मुण्डा,
18– मुस. छोटिया उर्फ सखीमुन निशा
वैवा छोटई
19– सरीफ मौहम्मद पुत्र छोटई
20– सब्बीर मौहम्मद पुत्र छोटई
21– दिलदार मौहम्मद पुत्र छोटई,
22– मौहम्मद आबिद पुत्र अजीज बक्स
नाबालिग संरक्षिका दादी छोटिया,
वैवा छोटई निवासीगण–हटवा खास,
तहसील सिहावल, जिला सीधी
(म.प्र.)

.......अनावेदकगण

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहावल, जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 137/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2837–दो/16 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
3.11.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिहावल जिलासीधी के प्र0क0 37/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 8.8.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के निराकरण तक निर्माण कार्य पर हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया है जो विधि विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 8.8.16 निरस्त किया जावे। 4– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापति प्रति का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 8.8.16 को उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण के निराकरण अंतरिम आदेश पारित कर मकान के निर्माण कार्य पर कोई हस्तक्षेप नहीं करने संबंधी आदेश दिये हैं । चूंकि संहिता में दिनांक 30.12.2011	

को हुये नवीन संशोधन के अुनसार धारा 52 में एक बार में अधिकतम 90 दिवस तक स्थगन प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण तक स्थगन आदेश देने में विधि की गंभीर भूल की है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिये जाते हैं, कि जो अंतिम निराकरण तक स्थगन दिया गया है उसे निरस्त कर म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में हुये नवीन संशोधन दिनांक 30/12/2011 को विचार में लेते हुये प्रकरण में विधि प्रक्रिया अनुसार आदेश पारित किया जावे। प्रकरण दाखिला दर्ज हो पक्षकार सूचित हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य

3-11-16